

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/9/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक:

प्रेषित: खान एजेंट,
अरनिया-जोशी चुनापत्थर खान,
मेसर्स नूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
(M/s Nuvoco Vistas Corporation Limited)
गांव एवं पोस्ट: भवालिया, तहसिल: निम्बाहेड़ा,
जिला: चित्तोडगढ़, राजस्थान - 312620
ईमेल: (somnath.banerjee@nuvoco.com)

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी अरनिया-जोशी चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 1476.425 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

माहोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 16/08/2023 by undersign in presence of Sri Somnath Banerjee, Mine Manager, Sri Mahendra Kumar Vyas, Mining Engineer and Sri Krishan Kumar Sharma, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 24/01/2020 for the year 2022-23 to the extent given below: (1) The limestone production of 124326.67 tons has been achieved against the proposal of 200000.00 tons.
26(2)	On examination of report (PMCP report) submitted along with annual return on protective and rehabilitation work carried out following has been observed: (1) The number of the plants mentioned at the end of the financial year is not matching with the details of plantation furnished under part-V, para- 5 of the Annual return 2022-23. (2) Area in hectare taken under plantation for the year 2022-23 is not mentioned.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेडा।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर